



Neutral Citation No-2026:AHC:4810

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5141 वर्ष 2025

नन्हाकु और 4 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सिद्धार्थ राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ: -

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट या आदेश या निर्देश जारी करें जिसमें प्रतिपक्षी संख्या-2 को केस संख्या-पर फैसला करने का निर्देश दिया जाए। आरएसटी/0344/2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या-202554147000000344 (रामनरेश बनाम नन्हाकु), यूपी चकबंदी/जोत एक्ट की धारा 48(3) के तहत, निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामला इसके दाखिल होने की तारीख से लंबित है और इसे शीघ्रता से तय करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है।
4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।



5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी के उप निदेशक (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, जिसके समक्ष उपरोक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः, निर्णय लेना चाहिए।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)